

आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश

(दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल



कमांक/एस.एच.ए./ए.बी./2024/3127

भोपाल, दिनांक⁰³/10/2024

❖ आदेश ❖

आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय इम्पेनलमेन्ट कमेटी की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2024 में हुये निर्णय के आधार पर निम्नानुसार कुल 10 निजी चिकित्सालयों को अनुबंध दिनांक से 03 (तीन) वर्ष हेतु सशर्त योजना अन्तर्गत सम्बद्ध किया जाता है तथा कुल 06 पूर्व से संबद्ध चिकित्सालयों को विषय विशेषज्ञताओं में सशर्त वृद्धि प्रदान की जाती है :-

1. कुल-10 निजी चिकित्सालयों को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित विषय विशेषज्ञताओं में तीन वर्ष हेतु योजनान्तर्गत सम्बद्ध किया जाता है:-

S.N.	Hospital ID	Hospital name	District	Speciality
1	HOSP23P205533	MAYUR HOSPITAL	Bhopal	Paediatric Medical Management Orthopaedics Urology
2	HOSP23P205229	ABHISHREE HOSPITAL PVT LTD	Bhopal	General Medicine General Surgery Plastic & reconstructive Surgery Surgical Oncology Orthopedics Polytrauma Urology Neurosurgery
3	HOSP23P159091	LBS HOSPITAL	Bhopal	General Surgery Plastic & reconstructive Surgery Burns Management Oral and Maxillofacial Surgery Orthopaedics Polytrauma Urology Neurosurgery
4	HOSP23P205638	SARDAR PATEL HOSPITAL	Bhopal	Orthopedics Urology

5	HOSP23P207927	HEALTH CARE HOSPITAL	INDORE	Medical Oncology General Surgery Obstetrics & Gynaecology Orthopaedics Urology
6	HOSP23P206796	BORLE HOSPITAL & RESEARCH CENTER	Burhanpur	General Medicine Paediatric Medical Management Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay) General Surgery Plastic & reconstructive Surgery Ophthalmology Obstetrics & Gynaecology Orthopaedics Polytrauma Urology Neurosurgery Infectious Diseases
7	HOSP23P199287	SADBHAWANA FRACTURE HOSPITAL	Harda	Orthopaedics
8	HOSP23P01443	PG MULTISPECIALITY HOSPITAL	Jabalpur	Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay) Polytrauma Urology Neurosurgery
9	HOSP23P205715	GOHIL SAMPURN HOSPITAL	Shajapur	General Surgery Orthopaedics Urology
10	HOSP23P206999	New City Hospital	Tikamgarh	General Medicine Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)

2. कुल-06 चिकित्सालय को विषय विशेषज्ञताओं में वृद्धि हेतु उनके नाम के समक्ष उल्लेखित विषय विशेषज्ञता में वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

S.N.	Enhancement ID	Hospital name	District	Approved Speciality
1	ENHOSP87388	SN KRISHNA HOSPITAL	Ujjain	Plastic & reconstructive Surgery Cardiology Cardio-thoracic & Vascular Surgery Oral and Maxillofacial Surgery Polytrauma

2	ENHOSP71202	TRIVENI HEALTH CARE	Jabalpur	General Medicine
3	ENHOSP90365	GBL HOSPITAL	Indore	Medical Oncology General Surgery Urology
4	ENHOSP86385	MEDILIFE HOSPITAL	Bhopal	General Medicine
5	ENHOSP82590	BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE BHOPAL	Bhopal	Surgical Oncology
6	ENHOSP87059	Bansal Hospital A UNIT OF SAGARSHREE HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE PVT LTD	Sagar	General Medicine Orthopedic Organ & Tissue Transplant

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर से प्राप्त पत्र क्रमांक/आयु.भा.निरा./2024-25/9957 भोपाल, दिनांक 21/08/2024 अनुसार चिकित्सालय का नवीन पंजीयन किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर चिकित्सालय की संबद्धता निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

Hospital ID	Hospital Name	District	Remarks
HOSP23P116499	Vijyasun Speciality	Sehore	For De-empanelment

4. चिकित्सालय Hamidia Multicare Hospital Bhopal का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पंजीयन निरस्त किये जाने पर निलंबित किया गया था उक्त चिकित्सालय को समिति द्वारा असंबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया:-

Sno	Hospital Id	Hospital Name	District
1	HOSP23P119052	Hamidia Multicare Hospital	BHOPAL

5. चिकित्सालय के द्वारा दिनांक 28/08/2024 को ईमेल के माध्यम से प्राप्त पत्र अनुसार Paridhi Hospital And Care (HOSP23P205794) चिकित्सालय को Clearmedi Paridhi Multispeciality Hospital संस्था में स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः उपरोक्तानुसार Paridhi Hospital And Care को आयुष्मान योजनांतर्गत असंबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।
6. कुल 120 चिकित्सालय पूर्व में MMCUY (मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना) अंतर्गत 3 माह हेतु संबद्ध किये गये थे जिन्हें असंबद्ध किया जाना था किन्तु उक्त चिकित्सालय वर्तमान में HEM portal पर निलंबन की स्थिति में प्रदर्शित हो रहे हैं। उक्त चिकित्सालयों को समिति द्वारा असंबद्ध किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। (चिकित्सालयों की सूची संलग्न - ध्वज 'अ')

उपरोक्तानुसार सम्बद्ध किये जा रहे निजी चिकित्सालयों को अनुबंध पत्र (MoU) की प्रति उनके पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर भेजी जा रही है (अनुबंध पत्र (MoU) आयुष्मान भारत "निरामयम्" की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध है)। संबंधित संस्था को आदेश जारी होने के सात दिवस के भीतर अनुबंध पत्र (MoU) के हर पृष्ठ पर अस्पताल संचालक के हस्ताक्षर एवं संस्था की सील सहित अनुबंध पत्र (MoU) की सॉफ्टकॉपी आयुष्मान भारत "निरामयम्" की अधिकारिक ई-मेल आई.डी. पर भेजना होगा एवं MoU की हार्डकॉपी रु. 500 के स्टाम्प पेपर पर प्रत्येक पृष्ठ को नोटरीकृत कराकर कार्यालय, आयुष्मान भारत "निरामयम्" में जमा करना सुनिश्चित करना होगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में उक्त चिकित्सालय की सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। ई-मेलआई.डी. निम्नानुसार है :-

1. ceo.ayushman@mp.gov.in,
2. eoadmin.ab@mp.gov.in,
3. gmlegal.ab@mp.gov.in

उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत सम्बद्धता हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस. एच.ए./ए.बी./2021/746 भोपाल दिनांक 20.04.2021 के अनुसार निर्धारित अस्पताल निरीक्षण फीस का भुगतान आदेश में दर्शाये गये आयुष्मान भारत "निरामयम्" के आधिकारिक बैंक खाते में ऑनलाईन करना होगा एवं उपरोक्तानुसार किये गये भुगतान की रसीद अनुबंध पत्र (MoU) के साथ कार्यालय आयुष्मान भारत "निरामयम्" में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। अस्पताल निरीक्षण फीस प्राप्त होने के उपरांत ही निजी चिकित्सालयों को योजनान्तर्गत सम्बद्ध किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कुछ निजी चिकित्सालय तकनीकी कारणों से विभिन्न विषय विशेषज्ञताओं में कार्यरत चिकित्सकों की जानकारी, अन्य दस्तावेज HEM Portal पर अपलोड नहीं कर पाये हैं। अतः उक्त चिकित्सालयों को दर्शाई गयी विषय विशेषज्ञताओं में इस शर्त पर सम्बद्ध किया जा रहा है कि वह तीन दिवस में उपरोक्त जानकारी HEM Portal पर अपलोड कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में जिन विषय विशेषज्ञताओं में चिकित्सकों की जानकारी HEM Portal पर उपलब्ध होगी उन्हीं विषय विशेषज्ञताओं को संबंधित चिकित्सालय हेतु TMS Portal में खोला जायेगा। शेष विषय विशेषज्ञताओं को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने उपरांत खोला जायेगा।

(राज्य इम्पेनलमेंट कमेटी आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. योगेश तुकाराम भरसट)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.
भोपाल, दिनांक 03/10/2024

पृ.क्रमांक/एस.एच.ए./ए.बी./2024/3128
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

1. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
3. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
4. महाप्रबंधक (ऑपरेशंस), आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
5. महाप्रबंधक (विधि), आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
7. समस्त संभाग प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
8. समस्त सम्बद्धित निजी चिकित्सालय।
9. आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.